भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **736**
दिनांक 21 नवम्बर , 2019 / 30 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पायलटों की कमी

736. **श्रीमती अपराजिता सारंगी:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक एयरलाइनों हेतु एयरलाइन पायलटों की संख्या कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा विशेष रूप से वाणिज्यिक एयरलाइन पायलटों हेतु किसी कल्याण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का उक्त पायलटों हेतु किसी कल्याण योजना का आरंभ करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) विमानन उद्योग के विकास तथा एयरलाइनों के विमान बेड़े में नए प्रकार के विमानों को शामिल किए जाने के कारण देश में टाइप रेटिड पॉयलट-इन-कमांड की कमी हुई है। तथापि, भारतीय सह-पॉयलट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं तथा वे एयरलाइनों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सह-पॉयलटों को पॉयलट-इन-कमांड बनने के लिए संरक्षा विनियामक द्वारा की गई अनिवार्यता के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त नहीं है। टाइप रेटिट पॉयलट-इन-कमांड की कमी को पूरा करने के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 45 के अंतर्गत विदेशी पॉयलटों की वैधता की जाती है। एयरलाइनों के सह-पॉयलटों द्वारा अनिवार्य अपेक्षाएं पूरी कर लिए जाने तथा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के पश्चात पॉयलट-इन-कमांड के रूप में पदनामित किए जाने पर ऐसे विदेशी पॉयलटों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।

इसके अलावा, पॉयलटों की कमी से उबरने के लिए सभी अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित एयरलाइनों को विदेशी पॉयलटों पर आश्रिता में कमी लाने के उद्देश्य से स्वयं अपना पॉयलट प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने का परामर्श दिया गया है। तदनुसार, एयरलाइनों द्वारा अपने पॉयलटों को प्रशिक्षण देकर उनका उन्नयन करते हुए विदेशी पॉयलटों की आश्रिता में कमी लाई जा रही है।

(ख) तथा (ग): जी, नहीं । इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई कल्याण योजना प्रारंभ नहीं की गई है।

*****